डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

579. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनमें से कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए; और

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यों की समीक्षा की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) **डाक विभाग**

जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में डाक विभाग द्वारा 1000 स्टाफ क्वार्टर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दूरसंचार विभाग

जी हां। आठवीं योनजा (1992-97) के अंत तक 14% समग्र संतुष्टि स्तर प्राप्त करने का लष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) **डाक विभाग**

स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95 तक) के दौरान 702 स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं।

दूरसंचार विभाग

मकानों का निर्माण करने के लिए कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए क्वार्टरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) **डाक विभाग**

जी हां।

संसाधन की कमी के कारण चालू निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

दूरसंचार विभाग

जी हां। कमचारियों के लिए मकान की सुविधाएं बढ़ाने हेतु वर्ष 1995-96 के लिए आबंटित 70 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाये गये क्वार्टरों का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	पहले से ही निर्मित स्टाफ क्वार्टर		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	आ प्रदेश	30	50	34
2.	असम	39	40	36
3.	बिहार	31	38	84
4.	गुजरात	17	40	56
5.	हरियाणा	84	30	12
6.	हिमाचल प्रदेश	35	8	50
7.	जम्मू एवं कश्मीर	6	12	4
8.	कर्नाटक	52	42	6
9.	केरल	197	225	36
10.	मध्य प्रदेश	235	237	99
11.	महाराष्ट्र	151	180	91
12.	उत्तर पूर्व	25	91	28
13.	उड़ीसा	74	143	57
14.	पंजाब	111	99	121
15.	राजस्थान	64	105	84
16.	तमिलनाडु	158	91	21
17.	उत्तर प्रदेश	84	131	188
18.	पश्चिम बंगाल	119	120	40
19.	मद्रास	24	40	31
20.	कलकत्ता	20	158	2
21.	एन.टी.आर. दिल्ली	–	–	54
22.	टी एंड डी सर्किल, जबलपुर	–	–	2

टिप्पणी: (1) उपर्युक्त ब्यौरे में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और बम्बई शामिल नहीं है।

Meeting on India's Security

580. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUHILKUMAR
SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: (a) whether a meeting of Senior Government and Military Officials, scientists and scholars was held in the first week of January, 1996 under the aegis of the Centre of Policy Research, New Delhi to consider India's nuclear policy in the context of adoption of the ensuing Comprehensive Test Ban Treaty, and Indian security interests;

(b) if so, what suggestions and observations were made at the meeting; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir, the Centre for policy Research organised a seminar on 4th January, 1996 on Comprehensive Test Ban Treaty negotiations and India's policy in this regard. Participants included a number of prominent scholars, former Ministers, retired service officers and civil servants. Some senior Government officials participated in their private capacity as observers.

(b) The seminar endorsed the Government's position as articulated in Prime Minister's speeches in Kuala Lumpur and NAM summit at Cartegna that India favours a truly comprehensive treaty that is an integral part of a phased, time-bound plan of total nuclear disarmament.

(c) Government have taken note of the views expressed by the participants.

Increase in the cost of passports

581. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for frequent increase in the cost of passports;

(b) the break-up of costs and increase thereof;

(c) whether Government would streamline the system of passport issuance in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) After a period of 15 years, in July 1993, passport fee was revised from Rs. 50/to Rs. 300/for issue of a fresh passport keeping in view the increased cost of production and preparation of improved passport booklets; introduction of news procedures involving specialised equipment; and computerisation.

(c) and (d). In all passport offices, Government have and shall continue to take steps for expenditious issue of passports such as augmentation of staff strength, upgradation of office facilities including computerisation; review of systems and procedures in order to reduce delays; and regular inspections of passport offices and follow-up action.

चकमा शरणार्थियों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

582. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चकमा शरणार्थियों की समस्या के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न उप-समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो वह समयावधि क्या थी और क्या सरकार को वह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए गए हैं और यदि सरकार को अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ङ): अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं तथा हाजोंगों के मुद्दे की समग्र पृष्ठ-भूमि की जांच के लिए तथा किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, यह जानने के लिए 29 दिसम्बर, 1995 को एक उच्च स्तरीय ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप की संरचना इस प्रकार है:-

(i) श्री एस.बी. चव्हाण, अध्यक्ष, गृह मंत्री।

(ii) श्री सैयद सिब्ते रजी, गृह राज्य मंत्री।

(iii) श्री एच. आर. भारद्वाज, राज्य मंत्री विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मामले।

(iv) श्री गेगांग अपांग, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश।

(v) श्री वी.के. जैन, विशेष सचिव (आई.एस.पी.) गृह मंत्रालय।

(vi) श्री बी.एन. झा, संयुक्त सचिव (एन.ई.) गृह मंत्रालय।

(vii) श्री डी.सी. सांखला, गृह आयुक्त अरुणाचल प्रदेश सरकार।